दुनिया के मजदूरो, एक हो इंकलाब जिन्दाबाद

5 दिसम्बर के एक दिवसीय देशव्यापी विरोध दिवस को सफल बनाएं

मजदूर हकों पर हो रहे पूंजीवादी-साम्राज्यवादी हमले के खिलाफ एकजुट हों

एक दिवसीय कार्यवाहियों से आगे बढ़कर कारगर प्रतिरोध खड़ा करें

1991 से नई आर्थिक नीतियों के नाम से जो उदारीकरण की मुहिम चली है उसमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ते हुए केन्द्र सरकार ने श्रम कानूनों में संशोधन करना शुरू कर दिया है। सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने निजीकरण, उदारीकरण और भूमण्डलीकरण की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए इस काम को कर डाला है। दूसरी ओर निजीकरण और वैश्वीकरण के सिलसिले को जारी रखते हुए उसने अभी तक इस मुहिम से लगभग अछूते रहे रक्षा उत्पादन और रेल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विदेशी निवेश के लिए द्वार खोल दिए हैं। बीमा के लिए भी विदेशी पूंजी निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है। सरकार यह सब विकास के नाम पर कर रही है और दावा कर रही है कि यह सब हमारी भलाई के लिए ही है। लेकिन सच्चाई किसी से छुपी नहीं है कि निजीकरण के बाद छंटनियां चालू हो जाती हैं। 1991 के बाद जो नीतियां अपनाई गईं उससे श्रमिकों की बड़े पैमाने पर छंटनी हुई। 1990 के दशक में केवल संगठित क्षेत्र में 1लाख से ज्यादा नौकरियां गईं। फिर भी सरकार इन नीतियों को मजदूरों के लिए हितकारी बता रही है और हमें ठगने के लिए बेशर्मी से 'श्रमेव जयते' का नारा लगा रही है। सरकार के इन नीतियों के खिलाफ हम आज यह 'विरोध दिवस' मना रहे हैं।

हाल में हुए श्रम सुधारों को यदि हम लें तो पाएंगे कि वे पूंजीपतियों के हक में हैं। ये 'सुधार' मजदूर हकों में कटौती करते हैं और 'हायर एण्ड फायर' (मनमाफिक बहाल करो और निकाल बाहर करो) की व्यवस्था बना रहे है। यह 'सुधार' अभियान सदियों के वर्ग संघर्षों से बने उन कानूनों को खत्म कर रहा है जिनके द्वारा मजदूरों के काम के घंटे कम किए गए और जिनसे मजदूरों को पूंजीपतियों के मनमाना के खिलाफ कई तरह के सुरक्षात्मक उपाय मिले। संगठित होने का और यूनियन बनाने के हक पर भी यह चोट करता है। मजदूरों की शक्ति उनकी एकजुट कार्रवाई में ही है अन्यथा अकेले वे पूंजीपति के सामने कुछ भी नहीं है। जब वे एकजुट हो जाते हैं और संघर्ष करते हैं तो पूंजीपति की बात क्या की जाए पूरा शासनतंत्र हिलने लगता है। इसीलिए पूंजीपति यूनियन बनाने पर तरह-तरह से रोक लगाने की कोशिश करते रहते हैं। संघर्षों से बने श्रम कानूनों ने इंस्पेक्टरों की व्यवस्था की थी ताकि पूंजीपतियों द्वारा कानूनों के उल्लंघन पर निगाह रहे लकिन आज 'इंस्पेक्टर राज' हटाने के नाम पर इन्हें खारिज किया जा रहा है। दूसरी ओर मजदूरों की कम संख्या वाले कारखानों पर तो कई कानून लागू ही नहीं होंगे। फैक्ट्रियों की जांच पर भी रोक लगाई जा रही है और पूंजी द्वारा स्वप्रमाणन (self-certification) का प्रावधान बनाया गया है। यानी अपने सही होने का सर्टिफिकेट खुद ही बनाएगा पूंजीपति! प्रशिक्षुओं (एप्रेन्टिस) को कम वेतन पर नियमित मजदूरों जैसा खटवाने की साजिश की जा रही है 'एप्रेन्टिसशिप एक्ट' में संशोधन द्वारा क्योंकि इसके उल्लंघन करने पर पूर्व की तरह जेल की सजा का डर नहीं रहेगा, महज कुछ रुपए फाइन देना पड़ेगा। महिलाओं का कई तरह की मशीनों पर काम करना वर्जित था तथा 7 बजे शाम से 6 बजे सुबह के बीच काम करना वर्जित था। अब इन प्रावधानों को हटा दिया गया है। देश में महिला-सुरक्षा की बुरी स्थिति को देखते हुए इसके क्या परिणाम होंगे यह चिंता का विषय है। फिर बच्चों के लालन-पालन पर इसका क्या असर पड़ेगा वह भी सोचनीय ही है। कानून में संशोधन के तहत ओवरटाइम करने के घंटों को सीधे बढ़ा दिया गया है

जिससे मजदूरों के काम का बोझ बढ़ने वाला है। इससे वास्तविकता में वेतन कम करने का अवसर मिलेगा और उतने ही वेतन की कमाई के लिए मजदूरों को ज्यादा घंटे काम करना पड़ेगा।

श्रम कानूनों में संशोधनों के बारे में सरकार का कहना है कि ऐसा विकास के लिए जरूरी है। निवेश बढ़े इसलिए ऐसा किया जा रहा है। जब श्रम का शोषण निष्कंटक ढंग से किया जा सकेगा तो पूंजीपति आकर्षित होंगे और निवेश करेंगे। जाहिर सी बात है कि सरकार सस्ते श्रम के शोषण के लिए परिस्थितियां बना रही है। आउटसोर्सिंग कर, सरकारी कामों को कम दामों पर करके व ठेकेदारों द्वारा बहाल मजदूरों से काम लेकर पूंजीपति व सरकार कानूनों की अवहलना तो कर ही रहे थे। इससे सस्ती मजदूरी दरों पर काम लिया जाना शुरू हो गया था। आज इसे और बढ़ावा दिया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने तो ठेका मजदूरी कानून में इसीलिए संशोधन भी किया है।

यह याद करते हुए कि हमारे श्रम कानून लम्बे वर्ग संघर्षों का परिणाम रहे हैं हमें अपने प्रतिरोध के तरीकों पर ध्यान देना पड़ेगा। क्या हम मिले हुए को खोने के लिए अभिशप्त हैं? यदि नहीं तो हम क्यों केवल एक दिवसीय हड़तालों या विरोध दिवसों तक अपन को सीमित रखते हैं। इस तरह की सांकेतिक हड़तालों का सिलसिला 1991 के बाद से चलता आ रहा है। इससे पूंजीपति वर्ग की सरकार ने अपने सुधारों की मुहिम को कुछ धीमा भले कर लिया हो पर वह इससे बाज नहीं आई है। आज वह इस स्थिति में अपने को पा रही है कि सब कोर-कसर पूरा कर ल। इसीलिए कमर कसना पड़ेगा। विरोध के लिए बने सभी तरह के यूनियनों की एकता उत्साहवर्धक है। फिर भी सवाल तो उठता ही है कि आाखिर हमसे चूक कहां हो रही है। मजदूरों के मुद्दे इतने जायज हैं कि सभी रंगों के यूनियनों को इसके खिलाफ आना पड़ रहा है अन्यथा वे मजदूरों के सामने बेनकाब हो जाएंगे और बेमानी भी। अपने अस्तित्व के लिए यह जरूरी है। अच्छी बात है। फिर एक बड़ी एकता के होते हुए भी आधे मन से इतनी हताशापूर्ण अधमना कार्रवाई क्यों? वह इसलिए कि कई बड़े यूनियनों का एक हाथ यदि मजदूरों के साथ है तो दूसरा पूंजीपतियों के साथ। उनकी राजनीति उन्हें सरकारपरस्त या व्यवस्थापरस्त बनाती है। यही उनकी सीमा है। वे दृढ़तापूर्ण संघर्ष कर भी नहीं सकते। यहीं पर हमें एक मजदूर वर्गीय राजनीतिक गोलबंदी की जरूरत दिखती है। एक ऐसी राजनीति की जो मजदूर वर्गीय संघर्षों को मुकाम तक पहुंचाने की मंशा रखती हो। पूंजीवादी व्यवस्था परस्त राजनीति से प्रेरित शक्तियां मजदूर वर्गीय संघर्षों को इस व्यवस्था के हितों को चोट पहुंचाने नहीं दे सकतीं। केवल एक पूंजीवाद विरोधी राजनीति ही ऐसा कर सकती है। जिनकी नाल-नाभि वैसे दलों से जुड़ी है जो व्यवस्थापोषक हैं वे ऐसा क्यों करेंगी? इसीलिए दोस्तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इस बात को भी ध्यान में रखें और एक ऐसी गोलबंदी बनाएं जो समर्थ हो ऐसे संघर्षों को आगे बढ़ाने में और जो दूसरी शक्तियों द्वारा संघर्षों को पददलित करने से बचाए।

साथियो, हमारी सरकार हमें देशी व साम्राज्यवादी पूंजी के सामने चारा के रूप में परोस रही है। यही है उसका 'मेक इन इण्डिया' कार्यक्रम और यही है उसका 'श्रमेव जयते'। इस हमले का प्रतिरोध करने के लिए इस विरोध दिवस को सफल बनाएं। हम सरकार को चेता दें कि यदि वह सभी चीजों का निर्माण करने वाले को ही यानी मजदूर वर्ग को कुचलना चाहेगी तो उसका विनाश ही होगा और वह इतिहास के कूड दान में फेंक दिया जाएगा। हम आपसे अपील करते हैं कि विरोध दिवस को सफल बनाते हुए एक पूंजीवाद-साम्राज्यवाद विरोधी राजनीतिक गोलबंदी के लिए आगे आएं।

क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ --

मजदूर चेतना केन्द्र, दिल्ली